न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा (जिला जोधपुर) राज.
पीठासीन अधिकारी : श्री हरीसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं :– 97 / 2015

वादीगण :–
1– घीसाराम
2– लच्छाराम
3– नारायणराम पिसरान लिखमाराम
जातियान सीरवी निवासीगण
बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण :–
1– मांगीलाल
2– मिश्रीलाल पिसरान शिवदान
जातियान सीरवी निवासीगण
बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा
3– प्रबन्धक थार आंचलिक
ग्रामीण बैंक, शाखा बिलाड़ा
4– प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक,
शाखा बिलाड़ा
5– सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री द्वारकाप्रसाद रामावत, अधिवक्ता, वादीगण
2– श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2
3– श्री नारायणसिंह सोढ़ा, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 व 4
4– श्री राजेन्द्र पटेल, सरकारी पेरोकार, प्रतिवादी सं. 5

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 10.4.2017

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नं. 4316/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि को वाद के बकाया पदों में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है जो वर्तमान में कस्बा बिलाड़ा के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी के खाता सं. 802 पर इन्द्राज है। जिसकी सत्यप्रति वाद पत्र के साथ पेश की है। उक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादीगण सं. 1, 2 व 3 का क्रमशः 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा है। तद्नुसार वादीगण सं. 1 से 3 का संयुक्त रूप से उक्त सम्पूर्ण भूमि में 1/2 हिस्सा है। हिस्से माफिक वादीगण वादग्रस्त भूमि पर बतौर सहखातेदार काबिज रहकर लगान की अदायगी करते आये है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण से बेहतर हक प्रतिवादीगण के नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत् बंटवाड़ा किया जाना बाकी है। मौके पर वादग्रस्त भूमि में वादीगण अपने बंट एवं कब्जे की भूमि में

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सुधार कार्य करवाना चाहते है। इस हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण से उसके हिस्से की भूमि उसे अलग बंटवाड़े में दिया जाकर उसके नाम दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा इस पर वे ऐलानिया इन्कार हो गये तथा दिनांक 21–10–2015 को उन्होने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के खातेदारी हकूको को इन्कार कर दिया व ऐलानिया कहा कि वादग्रस्त भूमि का राजस्व नक्शें में इन्द्राज नहीं है तथा उनकी सहमति के बिना नक्शें में अंकन नहीं होगा। इस हेतु वे कतई सहमत नहीं है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 5 के यहां वादग्रस्त भूमि को यथास्थान राजस्व नक्शे में अंकन करने हेतु कहा जिस पर अब तक उन्होने कोई कार्यवाही नहीं की। जिस पर वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि की राजस्व रेकर्ड की नकले ली जाकर उसकी ओर से वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेद्याज्ञा पेश किया है। वादीगण द्वारा समझाईश के उपरान्त प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है तथा उन्होने वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से पर काश्त नही करने हेतु भी वादीगण को दिनांक 21–10–2015 को धमकिया दी तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा हुए। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 5 को जो कि राजस्व अभिलेख आज दिनांक तक दूरस्त करने हेतु अधिकृत है एवं राजस्व अभिलेख को आज दिनांक दूरस्त रखने का कर्तव्य विधि द्वारा प्रतिवादी सं. 5 पर अधिरोपित है। इसके उपरान्त भी प्रतिवादीगण ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। जिस पर वाद कारण वादीगण का विरूद्ध प्रतिवादीगण पैदा हुआ। वाद में प्रतिवादी सं. 3 व 4 के यहां वादग्रस्त भूमि रहन दर्ज होने के कारण वे औपचारिक पक्षकार है तथा वाद में प्रतिवादी सं. 5 भूमिधारी है जिन्हें तहकीकात वाद हेतु बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जिन्हें दावा पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। वाद अन्दर म्याद व उचित न्यायालय शुल्क मुद्रांक पर पेश है तथा सभी प्रकार से वाद माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है। अन्त में वादी द्वारा इस्तदुआ की कि कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 4316/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा को राजस्व नक्शें में यथास्थान अंकन करने तथा वादग्रस्त भूमि में से वादी सं. 1 को 1/6, वादी सं. 2 को 1/6 व वादी सं. 3 को 1/6 हिस्से की भूमि उन्हें माप एवं सीमांकन के आधार पर अलग बंटवाड़ा में प्रदान की जावें तथा वादीगण के बंटसुदा कब्जे की भूमि में किसी भी रीति से दखल नही करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेद्याज्ञा की डिक्री जारी की जावें उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जावें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के राजस्व वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। बाद नोटिस तामिल प्रतिवादीगण इस न्यायालय में जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में जवाब दावा व साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर चाहा गया। परन्तु राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज होने से व दर्ज खातेदारी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होने से प्रतिवादीगण का जवाब दावा व साक्ष्य रेकर्ड पर लिया जाना उचित नहीं समझते हुए प्रतिवादीगण का जवाब दावा व साक्ष्य बन्द की गई तथा सीधे दोनों पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का व वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादग्रस्त कृषि भूमि जो बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित है जिसके खसरा सं. 4316/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा है जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 तक में वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा दर्ज है। वादी सं. 2 द्वारा अपना हिस्सा थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा बिलाड़ा में रहन दर्ज है तथा प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा एस.बी.आई बैंक शाखा बिलाड़ा में रहन दर्ज है। उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्सों के सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। इसलिये उक्त हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य बंटवाड़ा किया जाना उचित है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि जो बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की सरहद में जिसके खसरा सं. 4316/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा है जिसमें से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है तथा वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा है तथा उक्त हक हिस्से के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त अनुसार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार बिलाड़ा अमल दरामद की कार्यवाही करें तथा उक्त दर्ज खातेदारी के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मध्य मिट्स एण्ड वाउण्ड्स में विभाजन का प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी कानून तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार बिलाड़ा वाद माप चौंक कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 10.4.2017 को मेरे निर्देशन में टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

प्राथमिक डिक्री मुकद्मा इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दिवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
इजलास : हरीसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादीगण :–
1– घीसाराम
2– लच्छाराम
3– नारायणराम पिसरान लिखमाराम
जातियान सीरवी निवासीगण
बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण :–
1– मांगीलाल
2– मिश्रीलाल पिसरान शिवदान
जातियान सीरवी निवासीगण
बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा
3– प्रबन्धक थार आंचलिक
ग्रामीण बैंक, शाखा बिलाड़ा
4– प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक,
शाखा बिलाड़ा
5– सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा

निर्णय दिनाक 10.4.2017
मु.न. 97/2015

दावा बाबत् 53, 188 आर.टी.एक्ट यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रूबरू हाजरी हमारे मिनजानिब मुद्दई श्री द्वारका प्रसाद रामावत अधिवक्ता वादीगण की ओर से मिनजानिब मुदायलाह श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से, श्री नारायणसिंह सोढ़ा, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर, श्री राजेन्द्र पटेल, सरकारी पेरोकार प्रतिवादी सं. 5 की ओर से पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि बिलाड़ा चक न. 3, तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित है। जिसके खसरा सं. 4316/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा है जिसमें से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का 1/2 हिस्सा है तथा वादी सं. 1 का 1/6 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा है तथा उक्त हक हिस्से के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार बिलाड़ा अमल दरामद की कार्यवाही करें तथा उक्त दर्ज खातेदारी के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन का प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी कानून तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत प्रतिवादी सं. 5 तहसीलदार बिलाड़ा बाद माप चौंक कर प्रस्तुत करें।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज ....—......... मुवलिक ....—.............. बावत् ....—..............

खर्चा इस मुकदमें में मयसूद वगैराह ....—........... की सदी सलाना आज तारीख वसूलयाबी तक ....—.......... को अदा करें। बसीब्त मेरे दस्खत व मुहर आज तारीख 10.11.2017 को जारी की गई।

(हरीसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलाह	रूपया	पैसे
स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत स्टाम्प			मेहनताना वकील		
वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय		
बाबत् इजराय हुक्म नामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

(हरीसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा (जोधपुर)

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा